Machine Translated by Google



औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार



संपत्ति भविष्य!





आईपीआर संवर्धन एवं प्रबंधन कक्ष (सीआईपीएएम)

बौद्धिक संपदा

y 'बुद्धि' शब्द का तात्पर्य है मन की रचनाएँ.

^य बौद्धिक संपदा एक प्रकार की अमूर्त संपत्ति है और इसमें आविष्कार, साहित्यिक और कलात्मक कार्य, प्रतीक, नाम और पेंटिंग शामिल हैं।


बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) बौद्धिक संपदा (आईपी) के
 रचनाकारों को दिए गए अधिकार हैं

सरकार।

अधिकांश आईपीआर प्रकृति में क्षेत्रीय हैं।

किसी भी देश में आईपी की सुरक्षा के लिए संबंधित कानूनों के तहत अलग से सुरक्षा लेनी होगी। वहाँ हैं

विभिन्न प्रकार के आईपीआर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विशेष तंत्र स्थापित करना।



बुद्धिजीवियों के प्रकार संपत्ति के अधिकार

^य पेटेंट, डिज़ाइन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, भौगोलिक संकेत, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन, पौधों की किस्में, व्यापार रहस्य।



आईपी पंजीकरण के लाभ

y आर्थिक लाभ: आईपी अधिकार रचनाकारों को सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं उनकी रचनाओं का मुद्रीकरण करें। तीसरे पक्ष निर्माता की अनुमित के बिना उनकी रचना का उपयोग नहीं कर सकते।

y उपभोक्ताओं और समाज <mark>को लाभ: उपभोक्ताओं को नवीन उत्पाद और</mark> सेवाएँ प्रदान करता है। y नवाचार: नवाचार, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देता है। y स्वामित्व स्थापित करता है: बेहतर लाइसेंसिंग स्थिति का आश्वासन देता है। कानूनी लाभ: आईपी के मालिक उचित नागरिक/आपराधिक उपचार का लाभ उठा सकते हैं, य<mark>दि</mark> उनके अधिकार हैं

उल्लंघन किया गया

पंजीकरण न कराने के प्रभाव

- ^य उल्लंघन के मामले में राहत प्राप्त करना मुश्किल है गैर-पंजीकृत आईपी का साक्ष्य मूल्य कमजोर है।
- y केवल नागरिक कानून के तहत उपचार का लाभ उठाया जा सकता है मालिक आपराधिक के तहत उपचार प्राप्त नहीं कर सकते हैं कानून (कॉपीराइट की अपेक्षा करें जो आपराधिक कानून के तहत उपचार प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य नहीं है)।

सुरक्षा कौन प्राप्त कर सकता है?


कोई भी व्यक्ति जो मूल और रचनात्मक या अभिनव कार्य का निर्माता है, जिसका व्यवसाय का मुख्य स्थान भारत में है या यदि वह भारत में व्यवसाय नहीं करता है, जिसका सेवा स्थान भारत में है, तो वह ऐसी सुरक्षा प्राप्त कर सकता है।

1

भारत में आईपीआर कैसे पंजीकृत या स्वीकृत किये जाते हैं?

आईपीआर के लिए सभी आवेदन निर्धारित प्रारूप में उपयुक्त आईपीआर कार्यालय में दाखिल किए जाने चाहिए। आवेदन की जांच क़ानून के अनुसार की जाती है और आईपीआर प्रदान/पंजीकृत या अस्वीकार कर दिया जाता है।


भारत में आईपी कार्यालय



7

सरकार पहल

1. राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016 (एनआईपीआर नीति)



एक व्यापक राष्ट्रीय आईपीआर नीति को मंजूरी दे दी गई है जो न केवल सभी क्षेत्रों में नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि आईपीआर मुद्दों के संबंध में एक स्पष्ट दृष्टिकोण भी प्रदान करेगी। पॉलिसी दस्तावेज़ dipp.nic.in और cipam.gov.in पर उपलब्ध है।

2. आईपीआर संवर्धन और प्रबंधन कक्ष (सीआईपीएएम)



डीआईपीपी के तत्वावधान में एक पेशेवर निकाय जो मुद्दों पर केंद्रित कार्रवाई सुनिश्चित करता है

आईपीआर से संबंधित और एनआईपीआर नीति के उद्देश्यों को संबोधित करता है। सीआईपीएएम आईपीआर जागरूकता, व्यावसायीकरण और प्रवर्तन में तेजी लाने के लिए कदम उठाने के अलावा, आईपी प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित करने में सहायता करता है।


3. जागरूकता पहल

सीआईपीएएम ने उद्योग संघों के साथ साझेदारी में विभिन्न राज्यों में आईपीआर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन कार्यक्रमों को व्यवसाय मालिकों, छात्रों, शिक्षाविदों आदि से बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। आईपीआर जागरूकता अभियान पूरे भारत में स्कूलों, विश्वविद्यालयों और उद्योगों में चलाया जा रहा है।











के सहयोग से स्कूलों में आईपीआर जागरूकता अभियान चलाया गया अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडमार्क एसोसिएशन (INTA) पोस्टर: आईएनटीए द्वारा संकल्पना और डिजाइन




4. फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स के सहयोग से प्रवर्तन एजेंसियों सीआईपीएएम को मजबूत करना

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग (फिक्की) ने पुलिस के लिए एक "आईपीआर प्रवर्तन टूलिकट" लॉन्च किया। यह टूलिकट पुलिस अधिकारियों की सहायता करता है

आईपी अपराधों से निपटना, विशेष रूप से जालसाजी और चोरी, जो न केवल भारत में, बल्कि विश्व स्तर पर आईपी मालिकों के लिए एक बड़ा खतरा है। सीआईपीएएम द्वारा पूरे भारत में कानून फर्मों और उद्योग के आईपी विशेषज्ञों के सहयोग से आईपी प्रवर्तन पर पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

5. न्यायपालिका को संवेदनशील बनाना न्यायपालिका

आईपी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और प्रचलित विवादों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एनआईपीआर नीति के उद्देश्यों के अनुरूप, डीआईपीपी राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और विभिन्न राज्य न्यायिक अकादमियों के सहयोग से नियोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले न्यायाधीशों को आईपीआर के साथ-साथ सरकारी नीतियों के बारे में जागरूक करता है।



6. आईपी कार्यालयों का आधुनिकीकरण

आईपी कार्यालयों की पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

y डायनेमिक यूटिलिटीज़ सभी पेटेंट और ट्रेडमार्क की वास्तविक समय स्थिति प्राप्त करने में सहायता करती हैं अनुप्रयोग।

सार्वजनिक खोज - पेटेंट और ट्रेडमार्क खोज के लिए INPASS वेबसाइट पर उपलब्ध है।
 पेटेंट और ट्रेडमार्क के लिए व्यापक ई-फाइलिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। एकरूपता और उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए पेटेंट आवेटनों का स्वत: आवंटन

सभी परीक्षकों और नियंत्रकों की विशेष विशेषज्ञता।

у ट्रेडमार्क प्रमाणपत्रों का स्वत: निर्माण।

^य अनुदान के बाद पेटेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणपत्र।




7.मानव संसाधन में वृद्धि मौजूदा 130 के अलावा प्रौद्योगिकी के


विभिन्न क्षेत्रों में 458 नए तकनीकी रूप से सक्षम पेटेंट परीक्षकों को नियमित आधार पर भर्ती किया गया है। ट्रेडमार्क परीक्षकों की 57 नियमित नियुक्तियों के साथ ट्रेडमार्क के मोर्चे पर जनशक्ति को कई गुना बढ़ाया गया है। अनुबंध

के आधार पर 100 ट्रेडमार्क परीक्षकों को शामिल किया गया।

8.आईपी प्रक्रियाओं की री-इंजीनियरिंग - पेटेंट और ट्रेड मार्क नियम संशोधित



6



9. स्टार्टअप्स के लिए आईपीआर

डिज़ाइन दाखिल करने में सहायता करता है।

स्टार्टअप्स के नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप्स बौद्धिक संपदा संरक्षण (एसआईपीपी) की सुविधा के लिए एक योजना शुरू की गई है। यह योजना स्टार्टअप्स के बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने और इस प्रकार उनके बीच नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से तैयार की गई है। योजना के तहत, सरकार उस फैसिलिटेटर/एजेंट की पूरी लागत वहन करती है जो स्टार्टअप को किसी भी संख्या में पेटेंट, ट्रेडमार्क या

वर्तमान में, पेटेंट और डिजाइन में लगभग 423 फैसिलिटेटर और ट्रेडमार्क में 596 फैसिलिटेटर को इस योजना के तहत स्चीबद्ध किया गया है।

पेटेंट भरने की फीस पर स्टार्ट-अप को 80% की छूट प्रदान की जाती है । वे अपने पेटेंट आवेदनों की त्वरित जांच की विशेष सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। नए ट्रेडमार्क नियमों के तहत स्टार्ट-अप को फाइलिंग फीस में 50% की छूट दी

गई है

अन्य बड़ी संस्थाओं की तुलना में ट्रेडमार्क आवेदन के लिए।

10. एमएसएमई के लिए रियायत

एमएसएमई के लिए बड़ी संस्थाओं की तुलना में पेटेंट पर भी 50% शुल्क रियायत प्रदान की जाती है ्रेडमार्क शुल्क.

भारत चालू वैश्विक मंच

भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार (ट्रिप्स) के व्यापार संबंधी पहलुओं के अनुरूप, मजबूत, न्यायसंगत और गतिशील आईपीआर व्यवस्था है।

भारतीय आईपीआर प्रणाली आईपीआर के माध्यम से निजी अधिकारों और सार्वजनिक हित के रूप में समाज के अधिकारों के बीच एक अच्छा संतुलन बनाए रखती है।

भारत मराकेश संधि को मंजूरी देने वाला पहला देश था जो दृष्टिबाधित व्यक्तियों और प्रिंट विकलांगता वाले व्यक्तियों को प्रकाशित कार्यों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। भारत की पेटेंट व्यवस्था फार्मास्युटिकल पेटेंट को 'हमेशा के लिए हरा-भरा' करने से रोकती है और सस्ती जेनेरिक दवाओं को संभव बनाती है - दुनिया भर में लाखों लोग भारत में बनी सस्ती दवाओं पर भरोसा करते हैं, जिससे भारत 'दुनिया की फार्मेसी' बन जाता है।

आईपी के क्षेत्र में डब्ल्यूआईपीओ, जापान, यूरोप, सिंगापुर और यूके जैसे संगठनों, क्षेत्रों और देशों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए; नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और सहयोग के द्विपक्षीय आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है।

वैश्विक नवाचार सूचकांक

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) पर भारत की रैंकिंग 2015 में 81 से बढ़कर 2017 में 60 हो गई

नवाचार और रचनात्मकता में महान ऊंचाइयों तक पहुंचने की भारत की क्षमता को पहचानते हुए, श्रीमती के निर्देश पर नवाचार पर एक टास्क फोर्स की स्थापना की गई थी। निर्मला सीतारमण, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, भारत सरकार। इनोवेशन पर टास्क फोर्स को एक इनोवेटिव देश के रूप में भारत की स्थिति का आकलन करने और भारत में इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने के उपाय सुझाने और इस तरह जीआईआई में भारत की रैंकिंग में सुधार करने का काम सौंपा गया था। टीम, जिसमें सरकारी अधिकारी और निजी संगठनों और शिक्षा जगत के विशेषज्ञ शामिल हैं, ने इस यात्रा में भारत की सहायता के लिए इस रिपोर्ट को संकलित किया है।



कॉपीराइट

y कॉपीराइट बौद्धिक कार्यों के रचनाकारों को दिया गया एक विशेष कानूनी अधिकार है। y कॉपीराइट स्वामी के पास पुनरुत्पादन, अनुवाद, अनुकूलन, प्रदर्शन, वितरण और सार्वजनिक रूप से करने का अधिकार है

कार्य प्रदर्शित करें, आदि।

पंजीकरण अनिवार्य नहीं है क्योंकि बौद्धिक कार्य बनते ही कॉपीराइट अस्तित्व में आ जाता है, लेकिन बेहतर प्रवर्तनीयता के लिए कॉपीराइट पंजीकृत करने की सिफारिश की जाती है, क्योंकि पंजीकृत कॉपीराइट का अदालत में अधिक स्पष्ट मूल्य होता है।

सॉफ्टवेयर सहित कॉपीराइट और साहित्यिक के अंतर्गत आने वाले कार्य - किताबें, निबंध, संकलन, कंप्यूटर प्रोग्राम।

कलात्मक - ड्राइंग, पेंटिंग, लोगो, मानचित्र, चार्ट, योजना, तस्वीरें, वास्तुकला का कार्य। у नाटकीय - पटकथा, नाटक। у संगीतमय - संगीत संकेतन।

y ध्वनि रिकॉर्डिंग - कॉम्पैक्ट डिस्क। y सिनेमैटोग्राफ फ़िल्में - दृश्य रिकॉर्डिंग जिसमें ध्वनि रिकॉर्डिंग शामिल है।

कॉपीराइट की अवधि साहित्यिक,

नाटकीय, संगीतमय या कलात्मक कृतियाँ - लेखक का जीवनकाल + लेखक की मृत्यु से 60 वर्ष।


y अनाम और छद्मनाम कृतियाँ - कार्य के पहली बार प्रकाशित होने के वर्ष से 60 वर्ष। y सार्वजनिक उपक्रमों के कार्य एवं सरकारी कार्य - कार्य वर्ष से 60 वर्ष

पहले प्रकाशित।

y अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कार्य - कार्य के पहली बार प्रकाशित होने के वर्ष से 60 वर्ष। y ध्वनि रिकॉर्डिंग - उस वर्ष से 60 वर्ष जिसमें रिकॉर्डिंग प्रकाशित हुई थी। वाई सिनेमैटोग्राफ फिल्म्स - उस वर्ष से 60 वर्ष जब फिल्म प्रकाशित हुई थी।



कॉपीराइट पंजीकरण प्रक्रिया



पेटेंट

पेटेंट किसी उत्पाद, उसकी प्रक्रिया या ऐसी प्रक्रिया के आविष्कार के लिए दिए जाते हैं जो नवीन हो, आविष्कारशील हो और औद्योगिक प्रयोज्यता वाली हो। y एक आविष्कार - एक पेटेंट। y एक पेटेंट 20 वर्षों के लिए वैध होता है, जो

पेटेंट आवेदन दाखिल करने की तारीख से शुरू होता है

और इस अवधि को बढाया नहीं जा सकता है।

नवप्रवर्तकों को सुझाव यह अनुशंसा

य की जाती है कि आप अपने आविष्कार की सुरक्षा के लिए पेटेंट आवेदन दाखिल करने से पहले अपने आविष्कार को प्रकाशित/प्रस्तुत/प्रदर्शित न करें।

y हमेशा अपने आविष्कार का रिकॉर्ड बनाए रखें। आईपी अनुदान की व्यवहार्यता

का निर्णय करने के लिए आवेदन दाखिल करने से पहले खोज करें (टीआईएफएसी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग या पेटेंट वकील के तहत अपने निकटतम पेटेंट सुविधा सेल से संपर्क कर सकते हैं)।

किस चीज़ का पेटेंट नहीं कराया जा सकता


^य वैज्ञानिक सिद्धांत, अच्छी तरह से स्थापित प्राकृतिक कानूनों के विपरीत, अमूर्त सिद्धांत का निर्माण, तुच्छ आविष्कार, नैतिकता के लिए प्रतिकूल या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, कृषि या बागवानी की विधि, उपचार की विधि, मिश्रण, पारंपरिक ज्ञान, प्रभावकारिता और आविष्कारों में वृद्धि के बिना वृद्धिशील आविष्कार परमाणु ऊर्जा से संबंधित कुछ आविष्कार पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 3 और 4 के तहत पेटेंट योग्य नहीं हैं।

पेटेंट की त्वरित जांच यदि आवेदक या तो एक स्टार्टअप है या उसने

पीसीटी के तहत अंतरराष्ट्रीय आवेदन में अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण (आईएसए) / अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षा प्राधिकरण (आईपीईए) के रूप में भारतीय पेटेंट कार्यालय का चयन किया है तो पेटेंट आवेदन में तेजी लाई जा सकती है।



पेटेंट पंजीकरण प्रक्रिया



ट्रेडमार्क

y ट्रेडमार्क एक व्यावसायिक पहचान है और हमें निर्मित वस्तुओं को पहचानने और अलग करने में मदद करता है किसी कंपनी या व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ। y नाम, शब्द, लोगो, रंग, पैकेजिंग, ध्वनि (श्रव्य), संकेत (दृश्य) या कोई संयोजन उसे ट्रेडमार्क के रूप में दाखिल किया जा सकता है।

होना चाहिए

у अनोखा (जैसे दूरदर्शन); विशिष्ट (जैसे भीम, बीएचईएल)।

टालना

y विशेषण (जैसे कुशल); व्यक्ति या स्थान के नाम (जैसे भारत); अश्लीलता; धार्मिक या सरकारी शब्द या प्रतीक (जैसे ओम, अशोक चक्र); सामान्य आकृतियाँ (गोलाकार)।

लंबित/लागू अंकों


^य के लिए प्रतीक ™ और पंजीकृत अंकों के लिए ® सेवा

चिह्नों के लिए ™

य



ट्रेडमार्क पंजीकरण प्रक्रिया



डिजाइन

y किसी की सौंदर्य/सजावटी विशेषताओं की रक्षा करता है

वस्तु; कार्यात्मक पहलुओं पर कोई सुरक्षा नहीं.

y किसी हस्तशिल्प, उत्पाद या यहां तक कि एक औद्योगिक वस्तु का 2डी

या 3डी पैटर्न हो सकता है। y यूनीक सेलिंग पॉइंट (यूएसपी),
लुक की सुरक्षा करता है और

उत्पाद का एहसास, उत्पाद के दोहराव को रोकता है।




डिज़ाइन के लिए मानदंड डिज़ाइन

अधिनियम , 2000 की धारा 4 के अनुसार, एक डिज़ाइन जो (ए) नया या मूल नहीं है; या (बी) भारत में या किसी अन्य देश में कहीं भी मूर्त रूप में प्रकाशन द्वारा या उपयोग द्वारा या किसी अन्य तरीके से फाइलिंग तिथि से पहले, या जहां लागू हो, पंजीकरण के लिए आवेदन की प्राथमिकता तिथि को जनता के सामने प्रकट किया गया है; या (सी) ज्ञात डिज़ाइनों या ज्ञात डिज़ाइनों के संयोजन से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न नहीं है; या (डी) जिसमें निंदनीय या अश्लील मामला शामिल है या शामिल है, पंजीकृत नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा किसी डिज़ाइन पर डिज़ाइन अधिनियम, 2000 की धारा 5 के प्रावधान लागू नहीं होने चाहिए यानी नहीं सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के विपरीत।



डिज़ाइन पंजीकरण प्रक्रिया



भौगोलिक संकेत (जीआई)

- जीआई मुख्य रूप से एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाला एक कृषि या खाद्य उत्पाद, प्राकृतिक या निर्मित उत्पाद (हस्तशिल्प, हथकरघा वस्त्र या औद्योगिक सामान) है। y किसी उत्पाद को किसी क्षेत्र में निर्मित माना जाता है यदि उत्पादन या प्रसंस्करण या माल की तैयारी की कोई भी गतिविधि वहां होती है।
- आमतौर पर, ऐसा नाम गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है जो अनिवार्य रूप से उस परिभाषित भौगोलिक इलाके में इसकी उत्पत्ति के तथ्य के कारण होता
- जीआई किसी भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं के उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है।

उदाहरण दार्जिलिंग

चाय, महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी, कुल्लू शॉल, जयपुर की ब्लू पॉटरी, बनारस ब्रोकेड और साड़ियाँ, तंजावूर आर्ट प्लेट, मकराना मार्बल, हैदराबाद हलीम, नासिक वैली वाइन, आदि।


कौन आवेदन कर सकता है

у व्यक्तियों, उत्पादकों, संगठन या प्राधिकारी का कोई भी संघ प्रतिनिधित्व करने पर

किसी विशेष क्षेत्र में उत्पादकों के हित।




भौगोलिक संकेत (जीआई) पंजीकरण प्रक्रिया



सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन

y सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट - एक उत्पाद जिसमें ट्रांजिस्टर और अन्य सर्किटरी तत्व होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी फ़ंक्शन निष्पादित करने के लिए डिज़ाइन किया गया। y लेआउट डिज़ाइन - ट्रांजिस्टर और लीड तारों सहित अन्य सर्किटरी तत्वों का एक लेआउट एक अर्धचालक एकीकृत सर्किट में जुड़ा हुआ है।



सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन (एसआईसीएलडी) के पंजीकरण के लिए मानदंड

य मुल

y भारत या कन्वेंशन देश में कहीं भी व्यावसायिक रूप से शोषण नहीं किया गया। y स्वाभाविक रूप से विशिष्ट.

पौधों की किस्में (कृषि मंत्रालय के अंतर्गत)

नई पौधों की किस्मों के विकास के लिए पौधों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सुधार और उपलब्ध कराने में किसी भी समय किए गए योगदान के संबंध में किसानों के अधिकारों को पहचानें और उनकी रक्षा करें । अनुसंधान और विकास के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पौधों के प्रजनकों के अधिकारों की रक्षा करें

पौधों की नई किस्मों का विकास. y ऐसी सुरक्षा भारतीय आईपी व्यवस्था का एक अनूठा पहलू है जो किसानों को मान्यता देती है कृषक, संरक्षक और प्रजनक।

किस्मों के प्रकार y "नई, मौजूदा,

किसान की, अनिवार्य रूप से प्राप्त किस्म" के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है इस बात का मानदंड कि क्या विविधता में नवीनता, विशिष्टता, एकरूपता और स्थिरता है, पारंपरिक रूप से खेती की गई है या आनुवंशिक रूप से इंजीनियर की गई है।

मानदंड

y उपन्यास - विविधता नई है।

20

y विशिष्ट - यदि विविधता में कम से कम एक आवश्यक विशेषता अन्य मौजूदा से भिन्न है किस्में.

y वर्दी - पर्याप्त रूप से समान आवश्यक विशेषताओं वाली विविधता। y स्थिर - बार-बार प्रसार के बाद आवश्यक विशेषता अपरिवर्तित रहती है।

व्यापार के रहस्य

y व्यवसाय संबंधी जानकारी से संबंधित है जो जनता को ज्ञात नहीं है।

y एक सूत्र, पैटर्न, संकलन, कार्यक्रम, उपकरण, विधि, तकनीक या प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है जो स्वतंत्र आर्थिक मूल्य प्राप्त करता है और गोपनीयता बनाए रखने के लिए परिस्थितियों में उचित है। यह जानकारी आम तौर पर लोगों को ज्ञात नहीं है या उस तक आसानी से पहुंच योग्य नहीं है

आम तौर पर संबंधित जानकारी के प्रकार से निपटें।

y जानकारी का वास्तविक या संभावित व्यावसायिक मूल्य है क्योंकि यह गुप्त है, और y जानकारी पर कानूनी नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति ने इसके तहत उचित कदम उठाए हैं

इसे गुप्त रखने की परिस्थितियाँ। व्यापार रहस्य

में अनुसंधान एवं विकास सूचना, सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम, आविष्कार, डिजाइन, शामिल हो सकते हैं।

सूत्र, वित्तीय रिकॉर्ड, सामग्री, ग्राहकों की सूची, उपकरण, तरीके, ग्राहकों के संपर्क विवरण और किसी कंपनी की रणनीतियाँ या नीतियां।

भारत में व्यापार रहस्य

y सामान्य कानून दृष्टिकोण के माध्यम से संरक्षित, जिसमें अनुबंध कानून के प्रावधानों को लागू करना शामिल है गोपनीयता के उल्लंघन का न्यायसंगत सिद्धांत।

पारंपरिक जान

y पारंपरिक ज्ञान का अर्थ है स्थानीय ज्ञान, प्रणालियाँ, नवाचार और प्रथाएँ दुनिया भर में समुदाय।

इस तरह का ज्ञान वर्षों से विकसित और संचित किया गया है और इसका उपयोग कई पीढ़ियों से किया जा रहा है।



पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी

पारंपरिक ज्ञान को बनाए रखने के लिए, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) द्वारा आयुष मंत्रालय के सहयोग से 2001 में पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) की स्थापना की गई थी।

y टीकेडीएल का उद्देश्य प्राचीन और पारंपरिक ज्ञान को बनाए रखना है

विभिन्न वेदों के साथ-साथ पारंपरिक रूप से पारित मौखिक ज्ञान, विशेष रूप से औषधीय पौधों और भारतीय चिकित्सा प्रणालियों में पारंपरिक रूप से उपयोग किए जाने वाले फॉर्मूलेशन के बारे में। y टीकेडीएल पारंपरिक ज्ञान पर आधारित आधुनिक अनुसंधान को

प्रोत्साहित करने के लिए एक गैर-पेटेंट डेटाबेस खोज मंच के रूप में भी कार्य करता है। y TKDL पारंपरिक ज्ञान को पेटेंट कराने से रोकता है। टीकेडीएल वेदों (आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध) में वर्णित भारतीय

चिकित्सा पद्धतियों के दस्तावेज प्रस्तुत करता है

और योग)।

आनुवंशिक संसाधन

भारत में जैविक विविधता के संरक्षण के लिए जैविक विविधता अधिनियम, 2002 लागू किया गया था, और यह पारंपरिक जैविक संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के समान बंटवारे के लिए एक तंत्र प्रदान करता है।



उल्लंघन और दंड

- आईपी उल्लंघन बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन या उल्लंघन है।
- य आईपीआर का उल्लंघन तब माना जाता है जब आईपी कानूनों द्वारा संरक्षित किसी कार्य का उपयोग, प्रतिलिपि, वितरण या अन्यथा उसकी अनुमति के बिना शोषण किया जाता है। मालिक.
- यदि किसी आईपीआर का उल्लंघन किया जाता है, तो मालिक के पास अपने अधिकार की रक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय उपलब्ध हैं:

नागरिक उपचार:

y अंतर्वर्ती/स्थायी निषेधाज्ञा: y लागत और क्षति का पुरस्कार y वितरण और विनाश y

कॉपीराइट: वाई मारेवा इंजंक्शन वाई एंटोन पिलर ऑर्डर वाई जॉन डो ऑर्डर

के मामले में अतिरिक्त उपाय

y किस सिविल के अंतर्गत कार्य करता है

उपचार उपलब्ध हैं: y कॉपीराइट
अधिनियम, 1957 y भौगोलिक
संकेत
माल (पंजीकरण और
संरक्षण), अधिनियम, 1999 और ट्रेड मार्क्स
अधिनियम, 1999 और पेटेंट अधिनियम, 1970
और डिजाइन अधिनियम, 2000

जालसाजी अवैध रूप से नकली उत्पादों को बनाना और बेचना है जिन्हें 'नकली' कहा जाता है जो समान या समान ट्रेडमार्क, लोगो और रंग संयोजन के साथ वास्तविक उत्पादों की समान या समान प्रतियां हैं जो लोगों को इसे असली उत्पाद समझने के लिए गुमराह करते हैं।

पाइरेसी का तात्पर्य कॉपीराइट सामग्री की डुल्किकेट की अवैध बिक्री, वितरण और उपयोग से है। यह विभिन्न रूपों में किया जा सकता है - सॉफ्ट लिफ्टिंग, हार्ड डिस्क लोडिंग, क्लाइंट सर्वर का अधिक उपयोग, ऑनलाइन चोरी, आदि।

आपराधिक उपाय:

y कारावास y जुर्माना

y अधिनियम जिसके तहत आपराधिक उपचार उपलब्ध हैं: y कॉपीराइट अधिनियम, 1957 y जैविक विविधता अधिनियम, 2002 y सेमीकंडक्टर एकीकृत

> सर्किट लेआउट डिज़ाइन अधिनियम, 2000 और ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999 और पौधों और किस्मों और किसान अधिकारों का संरक्षण अधिनियम.

2001



एक नज़र में आईपीआर

आईपी प्रकार	काम के प्रकार	सुरक्षा के लिए मुख्य आवश्यकताएँ	अविष दाखिल करने की तारीख से 20 वर्ष, वार्षिक नवीनीकरण शुल्क के भुगतान के अधीन। 20 वर्ष से अधिक कोई विस्तार नहीं।		
पेटेंट	आविष्कार/नवप्रवर्तन.	नवीन/नया, आविष्कारी कदम और औद्योगिक रूप से प्रयोज्यता के साथ।			
डिजाइन	किसी वस्तु या उत्पाद का सौंदर्यशास्त्र/सजावटी और गैर-कार्यात्मक विशेषताएं।	उपन्यास/नया, व्यक्तिगत चरित्र के साथ।	दाखिल करने की तारीख से 10 वर्ष, अगले 5 वर्षों के लिए नवीकरणीय (अधिकतम सुरक्षा अवधि 15 वर्ष है)।		
ट्रेडमार्क	विशिष्ट चिन्ह या निशान जो एक व्यवसाय की वस्तुओं या सेवाओं को दूसरे से पहचानने और अलग करने का कार्य करते हैं।	निशानों की विशिष्टता.	पंजीकृत अंकों के लिए, दाखिल करने से 10 वर्ष और लगातार अवधि के लिए हर 10 वर्ष में नवीकरणीय		
कॉपीराइट	कलात्मक, साहित्यिक और संगीतमय कार्य, ध्वनि रिकॉर्डिंग, फ़िल्में और प्रसारण, व्युत्पन्न कार्य।	निर्माण या प्रकाशन पर, गुणवत्ता या उद्देश्य की परवाह किए बिना, भौतिक रूप में व्यक्त किया जाता है।	साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमय या कलात्मक कृतियाँ - लेखक का जीवनकाल, लेखक की मृत्यु से 60 वर्ष तक।		
			अनाम और छद्मनाम, सार्वजनिक उपक्रमों और सरकारी कार्यों के कार्य, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कार्य - कार्य के पहली बार प्रकाशित होने के वर्ष से 60 वर्ष।		
			ध्वनि रिकॉर्डिंग और सिनेमेटोग्राफ फ़िल्में - उस वर्ष से 60 वर्ष जिसमें रिकॉर्डिंग प्रकाशित हुई थी।		
भौगोलिक संकेत (जीआई)	एक विशिष्ट स्थान से उत्पन्न होने वाला उत्पाद जो उस उत्पाद को एक अद्वितीय और विशिष्ट गुणवत्ता या प्रतिष्ठा या अन्य विशेषताएँ प्रदान करता है।	गुण, विशेषताएं, विशेषताएं एक पंजीकृत जीआई 10 वर्षों के लिए वैध है या किया जा सकता है और इसके नवीनीकरण शुल्क से जुड़ा हुआ है। उत्पादन व			
पोधों की किस्में	नई पोधों की किस्मों के विकास के लिए पोधों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सुधार और उपलब्ध कराने में किसी भी समय किए गए योगदान के संबंध में किसानों के अधिकारों को पहचानें और उनकी रक्षा करें।	उपन्यास- विविधता नई है. विशिष्ट- विविधता भिन्न होती है यदि विविधता में कम से कम एक आवश्यक विशेषता अन्य मौजूदा किस्मों से भिन्न हो। वर्दी - पर्याप्त रूप से समान आवश्यक विशेषताओं वाली विविधता। स्थिर- आवश्यक विशेषताएँ बार-बार प्रसार के बाद भी अपरिवर्तित रहते हैं।	पेड़ों और लताओं के लिए- किस्म के पंजीकरण की तारीख से 18 वर्ष। मौजूदा किस्मों और अन्य के लिए - केंद्र सरकार द्वारा उस किस्म की अधिसूचना की तारीख/पंजीकरण की तारीख से क्रमशः 15 वर्ष।		
र्स-आईसीएलडी	इलेक्ट्रॉमिक सर्किटरी फ़ंक्शन करने के लिए डिज़ाइन किए गए ट्रांजिस्टर और अन्य सर्किटरी तत्वों का एक लेआउट।	मूल, पंजीकरण के लिए आवेदन की तारीख से 2 वर्ष से अधिक समय तक भारत में या किसी कन्वेशन देश में कहीं भी व्यावसायिक रूप से उपयोग नहीं किया गया है, और स्वाभाविक रूप से विशिष्ट है।	पंजीकरण के लिए आवेदन दाखिल करने की तारीख से 10 वर्ष या किसी भी देश में कहीं भी पहले वाणिज्यिक शोषण की तारीख से, जो भी पहले हो।		



आप कैसे योगदान दे सकते हैं?

- 1. दूसरे के आईपी को पहचानें और उसका सम्मान करें।
- 2. अनाधिकृत उपयोग से बचना

दूसरों की बौद्धिक रचनाएँ -

नकली उत्पाद न खरीदें!

3. रचनाकारों को उचित श्रेय दें

हमेशा।

कुछ उपयोगी लिंक

वाई डीआईपीपी: सभी आईपीआर नीति मुद्दों के लिए नोडल बिंदु: http://dip <u>p.nic.in/</u>
वाई सीजीपीटीडीएम कार्यालय: आईपी आवेदन दाखिल करने के लिए/वास्तविक समय प्राप्त करने के लिए सभी आईपी आवेदनों/अनुदानों की जांच/आईपीआर के पंजीकरण की स्थिति: www.ipindia.nic.ir
y कॉपीराइट कार्यालय: भरने और स्थिति से संबंधित जानकारी के लिए कॉपीराइट एप्लिकेशन: http://cop <u>yright.gov.in</u>
y स्टार्टअप इंडिया: स्टार्टअप से संबंधित जानकारी के लिए : http:// <u>स्टार्टअपइंडिया.gov.in</u>
y पौधा किस्म और किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण: पौधा किस्म के आवेदन दाखिल/पंजीकरण के लिए: http:// plantauthority.gov.in

गई	टीआईएफएसी:	भारतीय/विदेर्श	पेटेंट व	दाखिल व	करने की	जानकारी ।	के लिए	,
	पेटेंट खोज सु	वेधाएं: www.t	ifac.o	rg.in				

y इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय:

डीईआईटीवाई सोसायटी और अनुदान प्राप्त संस्थानों को आईपी सुविधा सहायता प्रदान करना, एसआईपी-ईआईटी योजना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट फाइलिंग के लिए स्टार्टअप और एसएमई को वित्तीय सहायता, उद्योग निकायों और शिक्षाविदों को वित्तीय सहायता के माध्यम से आईपीआर जागरूकता का निर्माण, पूर्व कला खोज सहित आईपीआर संबंधित सेवाएं प्रदान करना: http://meity.gov.in/content/ipr-promotion

वाई सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन रजिस्ट्री (एसआईसीएलडीआर): सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन अनुप्रयोगों को भरने और स्थिति से संबंधित जानकारी के लिए: http://sicldr.gov.in आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक के बारे में सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय आईपीआर नीति के तहत सेल फॉर आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट (सीआईपीएएम), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यह पहल की गई है। समाज के सभी वर्गों के बीच आईपीआर का लाभ। इस पुस्तिका में मौजूद जानकारी कानूनी सलाह नहीं है और केवल सूचनात्मक और/या शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है।

सीआईपीएएम सबसे सटीक जानकारी सुनिश्चित करने और प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करता है, हालांकि, हर समय सटीक होना संभव नहीं है, इसलिए सीआईपीएएम किसी भी जानकारी की सटीकता, पहुंच, अखंडता और समयबद्धता की गारंटी नहीं देता है और न ही कोई वारंटी देता है।

सीआईपीएएम लीगासिस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का आभारी है। लिमिटेड को उनके सुझावों के लिए धन्यवाद।



आईपीआर प्रमोशन के लिए सेल और प्रबंधन (सीआईपीएएम)

□ उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110011 □ cipamdipp@gov.in □ cipam.gov.in

अधिक अपडेट के लिए, कृपया हमें 🛘 @CIPAM_India पर फ़ॉलो करें